न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 74/2025 बउनवानी राजेश कुमार शर्मा बनाम जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर पुत्र स्व0 देवीनारायण शर्मा निवासी खण्डार

GCMS No-2025/ 202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.6.2024 को भेजे गये शिकायती पत्र पर दिनांक 9.5.2025 तक की गयी कार्यवाही सहित कुल 2 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*" जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकांर अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः सूकाअ/2025/1577 दिनांक 11.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 9.5.2025 मे चाही गयी सूचना दिनांक 11.8.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.5..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना पत्र दिनांक 11.8.2025 के साथ भिजवाना बताया गया है किन्तु पत्र दिनांक 11.8.2025 के साथ भिजवायी गयी सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया है कि उक्त सूचना के नाम पर केवल मात्र जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर, जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ,खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के संबंध मे पारित निर्णयों की प्रति ही भिजवायी गयी है। शिकायत पत्र दिनांक 16.6.2024 पर की गयी कार्यवाही से संबंधित कोई सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को चाही गयी सूचना 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:37:27 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner